POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2012/अंक 03 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 मार्च, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

# ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मार्च, 2012 मूल्य 50 पैसे

## आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! हर साल 15 मार्च का दिन 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

इस दिवस को मनाए जाने का खास मकसद उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति चेतना और जागरूकता पैदा करना है। गांवों में रहने वाले लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी हो, उनमें गांव की भलाई के लिए सरकार से सवाल खड़े करने की हिम्मत जागे। इसी मकसद को लेकर 1983 से 'ग्राम गदर' छापना शुरू किया गया था।

राजस्थान में यह उपभोक्ता आन्दोलन का पहला ऐसा ग्रामीण भित्ती-पत्र है, जो जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है। मुझे खुशी है, गांव वालों की नजर में आज भी इस भित्ती-पत्र की उस समय से ज्यादा अहमियत है। गांव के लोग सरकारी विकास योजनाओं को समझने लगे हैं। उनसे फायदा भी उठा रहे हैं और गांव के विकास में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। किसी योजना में भ्रष्टाचार होने पर उसे उजागर करने में भी वह पीछे नहीं रहते। इस भित्ती-पत्र के माध्यम से ग्रामीणों में अधिकारों के लिए संगठित रूप से कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ी है।

गांव वालों की नजर में यह आज भी उनके अधिकारों की जानकारी कराने और उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। सरकारी विभागों, उपभोक्ता संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण बन्धुओं से प्राप्त पत्र इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं।

मैं अपनी व संस्था की ओर से सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

## 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार

'कट्स' द्वारा प्रकाशित लोकप्रिय ग्रामीण भित्ती-पत्र 'ग्राम गदर' अपने प्रकाशन के 30 वर्ष पूरे कर रहा है। अतः हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामीण संचार के क्षेत्र में लेखन और उत्कृष्ठ पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु पत्रकार बन्धुओं से प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

यह पुरस्कार प्रतिवर्ष समसामयिक मुद्दों पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2011 का विषय जिस पर उत्कृष्ठ पत्रकारिता के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जा रही हैं, वह हैः

### 'खाद्य सुरक्षा'

ग्राम गदर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार के अन्तर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा चुने गये पत्रकार को 10,000 (दस हजार) रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा।

कृपया प्रविष्टियां भेजते समय निम्न उल्लेख/संलग्न अवश्य करें-

- अपना पूरा नाम व पता पिनकोड सहित। ● टेलीफोन/मोबाइल नम्बर।
- पत्रकारिता के लिए जिस समाचार पत्र से जुड़े हैं/थे या स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं तथा कब से (पूर्ण विवरण सहित)।
- वर्ष 2011 के दौरान आपके नाम से विभिन्न समाचार पत्रों में छपे लेख व खबरों की प्रेस कटिंग व अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संलग्नीकरण।

प्रविष्टियां हमें 31 मार्च, 2012 तक नीचे लिखे पते पर अवश्य भिजवाने का कष्ट करें।

**कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)**, डी -217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302 016 (राजस्थान) फोनः 0141-2282821, 5133259, फैक्सः 0141-2282485

## जागरूक बनाता है ग्राम गदर

आपके द्वारा प्रकाशित ग्राम गदर हमारी संस्था को नियमित प्राप्त हो रहा है। इसमें छपी छोटी-छोटी खबरें और जानकारियां ग्रामीणों और गांवों में काम कर रही सामाजिक संस्थाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही हैं।

पिछले अंकों में भ्रष्टाचार, बढ़ती मंहगाई और उपभोक्ताओं से सम्बन्धित जानकारियां काफी उपयोगी और जन जागरूकता पैदा करने वाली हैं। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आमजन और हम सभी को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। पिछले अंक में कुपोषण की वास्तविकता को असरदार तरीके से प्रकाशित किया गया है। मैं ग्राम गदर को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाता हूं। जहां इसे पढ़कर गांव के कई लोग नई-नई जानकारियों से वाकिफ होते हैं।

आत्माराम शर्मा, आत्मा संस्थान
जगमालपुरा, जोबनेर जयपुर

## राशन में मिलेगा राजस्थान का गेहूं

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अब प्रदेश में राशनकार्ड धारकों को राजस्थान में ही पैदा हुआ ताजा गेहूं मिलेगा। इसके लिए जल्द ही प्रदेश में गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है।

राज्य में रबी के सीजन में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। खरीद के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को बनाया गया है। निगम भारतीय खाद्य निगम व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीद करेगा।

केन्द्र सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1170 रुपए से बढ़ाकर 1285 रुपए क्विंटल कर दिया है। यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री परसादीलाल मीणा ने देते हुए कहा कि इस बारे में नीतिगत फैसला किया जा चुका है। इससे राशन उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता का गेहूं मिलेगा और किसानों को भी उपज का उचित दाम मिलेगा।

## फोर्टिफाइड खाद्य आहार योजना शुरू

कुपोषण और खून की कमी से पीड़ित बच्चों व महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड खाद्य आहार योजना शुरू की है। इसके तहत विटामिन, मिनरल वाले आटे, शिशु आहार, दूध, तेल, नमक व दालों का उत्पादन व वितरण होगा। इनमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-बी 12 और विटामिन-ए मिलाया जाएगा, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है।

राजस्थान में 40 फीसदी से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसमें सुधार के लिए सरकार ने यह योजना ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन 'गेन' और भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन व शोध संस्थान के साथ मिल कर शुरू की है। लोगों को यह आहार कम कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलेंगे।

## किसानों की सब्सिडी खा गए अफसर

केन्द्र सरकार के भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि. (एसएफसीआई) की ओर से बीज उत्पादन कार्यक्रम में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। प्रदेश में बीज उत्पादन के बदले किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को हड़पने के लिए अफसरों ने फर्जी कागजात तैयार किए और एक करोड़ 70 लाख रुपए खुर्द-बुर्द कर दिए। सबसे ज्यादा गड़बड़ी निगम के किशनगढ़ रेनवाल यूनिट में सामने आई।

जांच में सामने आया कि यहां 100 किसानों से चना और 29 किसानों से गेहूं का बीज उत्पादन करना बताया। कागजों में यह उत्पादन दिखा कर अधिकारियों ने सब्सिडी की 80 फीसदी राशि एक करोड़ 70 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान दिखा दिया। जबकि असल में यह राशि किसानों तक पहुंची ही नहीं।

## भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति होगी जब्त

राज्य में भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार कानून लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। इस बारे में पहले से मौजूद कानूनों का परीक्षण कराया जाएगा और जो बेहतरीन होंगे उन्हें लागू किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उड़ीसा या बिहार की तर्ज पर भ्रष्टाचारियों की सम्पत्तियां जब्त कर उन्हें सार्वजनिक काम में लिया जाए। जब्त सम्पत्तियों पर स्कूल, अस्पताल बने या उन्हें किसी अन्य सार्वजनिक काम में लिया जाए। कानून के इसी साल लागू होने की उम्मीद है।

## पंचायत सभा में मौजूद रहेंगे इंजीनियर

सार्वजनिक निर्माण मंत्री भरतसिंह ने विभागीय इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित तौर पर पंचायत समिति की साधारण सभा में मौजूद रहें। सभा में वह विभाग की ओर से क्षेत्र में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की आमजन को जानकारी देंगे। जनप्रतिनिधियों की राय को निर्माण कार्य में तबज्जो दी जाएगी।

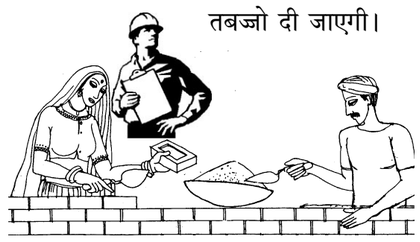

उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा तैयार सड़कों, भवनों, आरओबी आदि के निर्माण कार्यों में यदि गुणवत्ता किसी भी स्तर पर कम पाई गई, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने सचिवालय में वीड़ियो कांफ्रेसिंग के दौरान यह निर्देश दिए हैं।

## पंचायतों का होगा सामाजिक अंकेक्षण

देश में पहली बार पंचायतों का विशेष सामाजिक अंकेक्षण कराने का काम बाड़मेर जिले की शिव पंचायत से शुरू होने जा रहा है। जल्द ही हैदराबाद से एक प्रशिक्षित जांच टीम यहां पहुंचेगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश भर से चयनित लोगों को हैदराबाद में विशेषतौर पर प्रशिक्षण दिया गया है।

टीम में लेखा, तकनीकी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। शिव पंचायत समिति की 47 ग्राम पंचायतों में जांच का काम डेढ़ माह में पूरा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस विशेष जांच में कई अनियमितताएं सामने आएगी। बाद में जांच रिपोर्ट को ग्राम सभा में भी रखा जाएगा।

## बिना वकील, बिना खर्च पाएं न्याय

आम आदमी को शीघ्र निःशुल्क और सरलता से न्याय दिलाने के मकसद से राज्य के जिला स्तर और तहसील स्तर पर लोक अदालतें संचालित हैं। इनमें दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निपटारा होता है। इन अदालतों द्वारा जन हित के मामलों पर भी आदेश जारी किए जा सकते हैं।



- इन अदालतों का संचालन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इनमें मामला ले जाने के लिए वकील की आवश्यकता नहीं होती न ही किसी तरह की कोर्ट फीस लगती है।
- लोक अदालत में पीड़ित व्यक्ति द्वारा वाद प्रस्तुत करना काफी सरल है। परिवाद का पंजीयन हो जाने के बाद अदालत दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर बुलाती है। दोनों पक्षों के द्वारा लिखित में कथन प्रस्तुत किए जाते हैं। आवश्यक प्रलेख भी मंगाए जाते हैं।
- इन अदालतों में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को खासतौर से आपसी बातचीत, समझौते और राजीनामे से निस्तारित किया जाता है। अदालत की खर्चीली और लम्बी प्रक्रिया से बचने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को सर्वोपरि माना जाता है। किसी पक्ष को सजा नहीं होती, क्योंकि मामला सुलह से निपटाया जाता है।
- लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती।

## सही सेवाएं नहीं देने पर टैन्ट हाउस संचालक पर जुर्माना

नागौर के डीडवाना निवासी राम गोपाल अग्रवाल ने जयपुर में छोटी चौपड़ स्थित गोयल टेन्ट हाउस के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया। उन्होंने परिवाद में मंच को बताया कि वह स्टेच्यू सर्किल स्थित एक मैरिज लॉन बुक कराने के लिए टैन्ट हाउस संचालक से मिला था। संचालक ने लॉन बुक होने की बात कहते हुए, बनीपार्क स्थित राम मन्दिर के पीछे श्रीराम वाटिका लॉन बुक करने को कहा। लॉन एक लाख पांच हजार में बुक हुआ। टैन्ट संचालक ने वहां अच्छी व्यवस्था करने का वायदा किया था। लेकिन वायदे के मुताबिक उसने शादी के दिन लॉन में सही और पर्याप्त व्यवस्था नहीं की।

मामले की सुनवाई पर टैन्ट हाउस संचालक ने सफाई पेश करते हुए कहा कि लॉन में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। परिवादी राम गोपाल ने मंच के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए टैन्ट संचालक के तर्क को गलत बताया। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उपभोक्ता मंच ने तय शर्तों के अनुसार सही सेवा नहीं देने को सेवा दोष माना और टैन्ट हाउस संचालक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मंच ने यह राशि दो माह की अवधि में रजिस्टर्ड डाक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परिवादी राम गोपाल अग्रवाल को अदा करने के आदेश दिए हैं।

**'ग्राम गदर' हिन्दी मासिक**

फार्म-4 (नियम 8)

'ग्राम गदर हिन्दी मासिक' के स्वामित्व का विवरण और अन्य विशिष्टियाँ जिनका प्रकाशन प्रत्येक वर्ष अन्तिम प्रकाशन दिवस पर करना होता है, निम्नवत है-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रकाशन का स्थान | - | जयपुर |
| 2. | प्रकाशन अवधि | - | मासिक |
| 3. | मुद्रक का नाम | - | भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर |
| | नागरिकता | - | भारतीय |
| | क्या विदेशी है | - | नहीं |
| 4. | प्रकाशक का नाम | - | प्रदीप सिंह महता |
| | नागरिकता | - | भारतीय |
| | क्या विदेशी है | - | नहीं |
| | पता | - | डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016 |
| 5. | सम्पादक का नाम | - | प्रदीप सिंह महता |
| | नागरिकता | - | भारतीय |
| | क्या विदेशी है | - | नहीं |
| | पता | - | डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-302016 |
| 6. | उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों तथा समस्त पूँजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हों। | - | एक मात्र स्वामी प्रदीप सिंह महता |

मैं प्रदीप सिंह महता एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

प्रदीप सिंह महता
प्रकाशक के हस्ताक्षर

## स्टाम्प पर लिखा अब रिश्वत नहीं लूंगा

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ ग्रामीण स्तर पर लोग जागरूक हुए हैं। पिछले दिनों उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील इसकी मिसाल बना है। गोगुंदा तहसील के तिरोल सरपंच प्रताप सिंह के खिलाफ इन्दिरा आवास योजना के तहत गांव के कुछ लोगों से अवैध वसूली करने की बात सामने आई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की। इसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए।

यह ही नहीं गांव वालों ने सरपंच पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए जब दबाव बनाया तो उसने जिनसे पैसा लिया था उन्हें वापस कर दिया। साथ ही सरपंच ने अवैध वसूली की बात को स्वीकार करते हुए स्टांप पर आगे कभी रिश्वत नहीं लेने का शपथ-पत्र भी लिख कर दिया।

## हमारा पैसा: हमारे अधिकार

यह अनुभव किया गया है कि उपभोक्ताओं को वित्तीय क्षेत्र में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई उपभोक्ता ठगे भी जाते रहे हैं। मद्देनजर इस बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस **15 मार्च** को उपभोक्ता संस्थाएं अपने क्षेत्र में **'हमारा पैसा: हमारे अधिकार'** विषय पर कार्यक्रम आयोजित करें, ताकि इस बारे में उपभोक्ता जागृत व सचेत हो सकें। कार्यक्रम की रिपोर्ट 'ग्राम गदर' को भिजवाने का श्रम करें।

निगरानी

**ग्राम गदर के पाठक कृपया पोस्टकार्ड में निम्न विषय पर संक्षेप में अपने विचार नीचे लिखे पते पर भेंजेः**

**'विदेशी बैंकों में जमा काला धन'**

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर